49 श्री लालचंद यादव सदस्य

50 श्री सुगनचंद करमानिया - पार्षद

51 " गुरविंदर सेठी "

52 " नरेश गोयल "

53 " अजरोज डागमंडे "

54 " नितेश सोनी "

55 " मनीष शर्मा "

56 " सुभाष पांडेय - संसद प्रतिनिधि

57 " महावीर चौहान विधायक प्रतिनिधि

58 सचिव

क्र.	प्रस्ताव	निर्णय
5	MIC प्रस्ताव क्र. 14 दिनांक 16/10/15 में लिए गए निर्णय अनुसार रायगढ़ शहर के 48 वार्डों में शासन योजनान्तर्गत डोर टू डोर कचरा उठवाने के संबंध में विचार।	5 चर्चा उपरांत उक्त प्रस्ताव सर्व सम्मति से निरस्त किया जाता है। पूर्ण कार्ययोजना के साथ आगामी बैठक में रखा जावे।
6	कॉंग्रेस पार्षदों के पत्र के आधार पर शहर के आवारा कुत्तों के लिए डाग हाऊस निर्माण के संबंध में विचार।	6 प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत। पूर्ण कार्य योजना बनायी जावे। प्रस्ताव शासन को भेजें। प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।
		7 सर्व सम्मति से स्वीकृत। पूर्ण कार्य योजना यथा-सड़क, नाली बिजली

(7) जेबा फार्म हाउस से बड़े रामपुर मुख्य मार्ग तक सड़क नाली, बिजली एवं पाईप लाईन विस्तार एवं निर्माण प्राक्कलन तैयार कर परिषद में रखने हेतु विचार।	पानी की व्यवस्था सहित कार्य योजना तैयार कर शासन को भेजे जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।
(8) रामलीला समिति को अनुदान राशि देने के संबंध में विचार।	(8) प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत। दोनों रामलीला समिति क्रमशः सार्वजनिक रामलीला समिति एवं स्टेशन चौक रामलीला समिति को क्रमशः विगत तीन वर्षों का 13-14, 14-15 एवं 15-16 का राशि रु. 15000/- 15000/- 15000/- भुगतान की पुष्टि की जाती है।
(9) यादव समाज कल्याण सेवा समिति द्वारा आयोजित मड़ई महोत्सव कार्यक्रम को अनुदान राशि देने के संबंध में विचार।	(9) प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत। यादव कल्याण सेवा समिति को क्रमशः विगत तीन वर्षों का 13-14, 14-15 एवं 15-16 का राशि रु. 10,000/- 10,000/- 10,000/- भुगतान की स्वीकृति की पुष्टि की जाती है।
(10) छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक 2011 दिनांक 18/01/2012 के पालन में अनुमोदित अभिन्यासों की भूमि तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रविष्ठि दर्ज किया जाना था, तदनुसार रायगढ़ नगर की 12 बेंच कालोनियों की 8,27,919 वर्गफीट भूमि का पंजीयन कराये जाने पर विचार।	(10) प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत। प्रकरण पर चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि महापौर/सभापति के द्वारा एक जाँच समिति का गठन किया जाकर समस्त कालोनियों की वैध अवैध आरक्षण शुल्क वाली कालोनियों की विस्तृत जाँच हेतु एक माह के निर्धारित समयावधि के अंदर समिति अपना जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 48 के अंतर्गत समिति गठित की जाती है जो निम्नानुसार है -
(11) जल आवर्धन योजनान्तर्गत बिछाई गई पाईप लाईन के साथ उपभोक्ताओं के नल कनेक्शन जोड़ने पर विचार।	(1) श्री कौशलेश मिश्रा - पार्षद वार्ड नं. (22)
(12) जल आवर्धन योजना के चालू होने से विभिन्न स्थानों पर खोदे गए ट्यूब वेल के स्थान पर हैंड पंप लगाने हेतु एवं निकाले गए बोर पंप के रख-रखाव पर विचार।	

(13) सम्पत्ति कर, जल कर वसूली में गति लाने हेतु विचार।

(14)

(14) साधारण सम्मेलन की बैठक दिनांक 26.03.2010 के प्रस्ताव क्र. (05) में राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि वितरण हेतु महापौर एवं आयुक्त महोदय को पात्र/अपात्र हितग्राहियों का चयन एवं राशि भुगतान की स्वीकृति हेतु अधिकृत किया गया है। जिसके परिपालन में माह फरवरी 2014 से जुलाई 2015 तक कुल प्राप्त 187 आवेदन पत्रों में 23 अपात्र एवं 164 हितग्राहियों का चयन कर पात्र 164 हितग्राहियों को सहायता राशि 32,80,000/- (बत्तीस लाख अस्सी हजार) रूपये भुगतान स्वीकृति प्रदान कर वितरण कराया गया जिसकी पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

(15) MIC के प्रस्ताव क्र. 09 दिनांक 09/12/2015 में अनुसंधानुसार नामकरण का प्रस्ताव स्वीकृति पर विचार।

(16) ~~जल अवर्धन योजनान्तर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सरगुजा~~ की

(17) राज्य प्रवर्तित गौरव पथ योजना अंतर्गत

(2) श्री आशीष ताम्रकार पार्षद वार्ड नं. (26)
(3) श्री चंद्रप्रकाश पांडेय - पार्षद वार्ड नं. (35)
(4) श्री राजा यादव - पार्षद वार्ड नं. (14)
(5) श्री शारद सराफ - पार्षद वार्ड नं. (20)
(6) श्री संजय देवांगन - पार्षद वार्ड नं. (06)
(7) श्री एस.एन. अयरिया - प्र. सहायक अभियंता न.पा. निगम रायगढ़

(11) प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत। पूर्व कनेक्शन धारियों का नल कनेक्शन निःशुल्क जोड़ा जावे।

(12) प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत। जल अवर्धन योजना मूर्त रूप लेकर न.पा.नि. को हस्तांतरित नहीं हो जाता तब तक शहर के वार्डों से सबमर्सिबल पंप न निकाला जावे। पूर्व में निकाले गए सबमर्सिबल पंप के स्थान पर हैंडपंप ग्रीष्म काल के पूर्व स्थापित किया जावे।

(13) प्रकरण प्रस्तुत हुआ। बहुमत से निर्णय लिया गया कि आयुक्त महोदय के अधिकांश अवकाश में रहने एवं कार्य दिवस में भी कार्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण बड़े सम्पत्ति कर दाताओं का संपत्ति कर जमा नहीं किया जाता है। जिससे कि निगम के सम्पत्ति कर वसूली में व्यवधान उत्पन्न होता है। इस संबंध में 39 पार्षदों एवं महापौर द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर युक्त आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है तथा रायगढ़ शहर के जल उपभोक्ता जिनका जल कर बकाया है, उसका एकमुश्त भुगतान 31 मार्च 2016 के पूर्व करने पर ब्याज पर छूट दी जावेगी। जल कर जमा नहीं होने

पर नल कनेक्शन काटने की कार्यवाही की जावेगी एवं नगर में स्थित शासकीय, नगर निगम तथा ट्रस्टों के आवासीय अथवा व्यवसायिक काबीजदारों / किरायादारों से समेकित कर एवं जलकर की राशि वसूल की जावे। वर्ष 2000 के पूर्व नगर निगम अधीनस्थ आवंटित दुकानों / पसरों / मूर्तियों का 31 मार्च 2016 की स्थिति में कब्जा अवधि समाप्त कर कलेक्टर गाईडलाईन दर अनुसार किराया निर्धारण किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(14) प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत। मुआवजा की पुष्टि की जाती है।

सभापति
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)